1001

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 11.09.2018 द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधानाचार्य राउमावि–बडागांव, लवाण जिला दौसा को दोहरे पदस्थापन की स्थिति के मद्देनजर अन्यत्र समायोजन हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय–कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर किया गया था।

श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 22908/2018 नरेन्द्र सिंह राजपूत बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.01.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य आदेश दिनांक 11.09.2018 को विधिसम्मत एवं उचित मानते हुए अन्तरिम स्थगनादेश को वैकेट किया गया जिसके फलस्वरूप श्री नरेन्द्र सिंह को पुनः विभागीय आदेश दिनांक 16.01.2019 द्वारा कार्यालय हाजा में अपनी उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था।

श्री नरेन्द्र सिंह उक्त आदेश की पालना में उपस्थित नहीं हुए और उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ के समक्ष डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 191/2019 दायर की गई जिसे माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 24.01.2019 द्वारा निस्तारित करते हुए विभागीय आलोच्य आदेश दिनांक 11.09.2018 को उचित एवं तर्कसंगत करार दिया गया एवं उक्त आदेश में किसी भी प्रकार की विसंगति होने से माननीय न्यायालय द्वारा इनकार कर दिया गया। अपीलार्थी बिना कार्य के वेतन प्राप्त कर रहा है, इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी विभाग से अपीलार्थी को शीघ्र (यथासंभव चार सप्ताह के भीतर) पदस्थापित/समायोजित किये जाने की अपेक्षा की गई।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना एवं विभागीय प्राथमिकता और प्रशासनिक अत्यावश्यकता को मद्देनजर रखते हुए श्री नरेन्द्र सिंह राजपूत, एपीओ प्रधानाचार्य, कार्यालय हाजा को तत्काल प्रभाव से राज्य हित में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नगवाड़ा (NAGAVADA), बागीदोरा जिला बांसवाडा में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित/समायोजित किया जाता है। श्री नरेन्द्र सिंह को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की पालना में दिनांक 04.01.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण सम्बन्धी समस्त प्रविष्टियों का इन्द्राज शाला दर्पण पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें।

इन्हें उक्त पदस्थापन/समायोजन पर योगकाल एवम् यात्रा–भत्ता नियमानुसार देय होगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/डी.बी.वि.या./191/2019 दिनांक 30.01.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/उदयपुर संभाग, जयपुर/उदयपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, दौसा/बांसवाड़ा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) दौसा/बांसवाड़ा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

P001

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था./2018 दिनांक 05.10.2018 द्वारा श्री भूपेन्द्र कुमार अग्रवाल, प्रधानाचार्य राउमावि मोरपा, सुल्तानपुर जिला कोटा का स्थानान्तरण राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय–मोठपुर, अटरू जिला बारां किया गया था जिसके विरूद्ध श्री भूपेन्द्र कुमार द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4276/2018 भूपेन्द्र कुमार अग्रवाल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 12.12.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 05.10.2018 को अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण की आगामी सुनवाई तक स्थगित किया गया है।

माननीय अधिकरण के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में श्री भूपेन्द्र कुमार अग्रवाल माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोरपा, सुल्तानपुर जिला कोटा में प्रधानाचार्य के पद पर पूर्ववत कार्यरत रहेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/भूपेन्द्र अग्रवाल/अपील/4276/2018 दिनांक 30.01.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, कोटा/बारां।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) कोटा/बारां।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 20.09.2018 द्वारा श्रीमती जगनी मीणा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रातंगा, जायल जिला नागौर को प्रशासनिक अत्यावश्यकता एवम् राज्य हित में राउमावि, अरणाय, सांचौर जिला नागौर स्थानान्तरित किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती मीणा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 25617/2018 जगनी मीणा बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर दायर की गई थी जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 29.11.2018 द्वारा बलहीन एवं सारहीन होने के आधार पर खारिज कर दिया गया।

उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमती जगनी मीणा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 1705/2018 दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2018 द्वारा उक्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.09.2018 में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए अपीलार्थिया को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे एक सकारण आख्यात्मक आदेश (Reasoned Speaking Order) द्वारा निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में अपीलार्थिया श्रीमती जगनी मीणा, प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के स्थानान्तरित स्थान के अत्यधिक दूर होने, पुत्र के हृदय रोग से पीड़ित होने एवं AIIMS, नई दिल्ली में उपचाराधीन होने जैसी विषम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन/समायोजन राबाउमावि बान्दीकुई, दौसा, राउमावि केलाई, सिकराय जिला दौसा अथवा राउमावि ड़ेरा, रैणी जिला अलवर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। अपीलार्थिया को पूर्व में माननीय अधिकरण द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण सम्बन्धी स्वतन्त्रता के मद्देनजर योगकाल एवं यात्रा–भत्ता अनुज्ञेय करते हुए राज्य हित एवं प्रशासनिक अत्यावश्यकता में राउमावि–अरणाय, सांचौर जिला जालौर स्थानान्तरित किया गया था किन्तु याचिकार्थी द्वारा उक्त पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कर माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या 25617/2018 दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2018 द्वारा माननीय अधिकरण के निर्णय को उचित एवं तर्कसंगत ठहराया गया और यह स्पष्ट किया गया कि उक्त स्थानान्तरण से किसी प्रकार की दुर्भावना या द्वेष सिद्ध नहीं होता। इस आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार के हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ द्वारा भी एकलपीठ के निर्णय को उचित करार देते हुए याचिका को अन्तिम रूप से निस्तारित कर अभ्यावेदन निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

अपीलार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में अपने पुत्र की हृदय सम्बन्धी बीमारी को दृष्टिगत रखते हुए गृह जिले दौसा में राबाउमावि–बान्दीकुई, दौसा या राउमावि–केलाई, सिकराय जिला दौसा अथवा राउमावि–डेरा, रैणी, जिला अलवर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किये जाने की मांग की गई। प्रार्थिया द्वारा पुत्र की बीमारी को आधार बनाकर गृह जिले व उसके समीप पदस्थापन की मांग उचित प्रतीत नहीं होती। प्रार्थिया द्वारा पुत्र को एम्स, नई दिल्ली में उपचाराधीन बताया गया है और माननीय न्यायालय द्वारा भी प्रार्थिया को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष उनके एम्स, नई दिल्ली के सुलभ आवागमन को मद्देनजर रखते हुए परिवेदना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अपीलार्थिया श्रीमती जगनी मीणा, प्रधानाचार्य राउमावि–अरणाय, सांचौर जिला जालौर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए एवं उनकी मांग को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें नई दिल्ली के

P001

निकटस्थ स्थान राउमावि–झिवाना (JHIWANA), तिजारा जिला अलवर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर एतद्द्वारा पदस्थापित / समायोजित किया जाता है। श्रीमती मीणा को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 04.02.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति / कार्यग्रहण से सम्बन्धित समस्त प्रविष्टियों का इन्द्राज शाला दर्पण पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा. / संस्था / बी–2 / जगनी मीणा / डी.बी.वि.या. / 1705 / 2018 **दिनांक** 30.01.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली / अलवर मण्ड़ल, पाली / अलवर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जालौर / अलवर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) जालौर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
9. निजी / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)